झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–297 वर्ष 2017

जितेंद्र कुमार .... याचिकाकर्त्ता(गण)

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य द्वारा अपने मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, धुर्वा, रांची

2. प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, डोरण्डा, रांची

3. अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, डोरण्डा, रांची

.... उत्तरदाता(गण)

याचिकाकर्त्ता(गण) के लिए :– श्री अशिम कुमार साहनी, अधिवक्ता

राज्य के लिए :– वरिष्ठ एस0सी0–I के ए0सी0

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

05 / 23.01.2019 इस रिट याचिका में, याचिकाकर्त्ता ने ज्ञाप सं0 5542 दिनांक 08.12.2016 में निहित आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा विभागीय कार्यवाही समाप्त कर दी गई है और याचिकाकर्त्ता को दंडित किया गया है।

याचिकाकर्त्ता के खिलाफ दी गई सजा निम्नानुसार है:–

(i) निन्दा और

(ii) संचयी प्रभाव के साथ एक वेतन वृद्धि को रोकना

याचिकाकर्त्ता के वकील ने कहा कि सजा का आदेश बिल्कुल खराब और बिना किसी आधार का है। वह आगे कहते हैं कि स्वीकृत रूप से, विभागीय जांच में याचिकाकर्त्ता के खिलाफ आरोपों को साबित नहीं किया गया था और जांच अधिकारी के

निष्कर्षों से भिन्न होने के कारण और बिना कोई आधार/कारण बताए कि अनुशासनिक प्राधिकारी में मतभेद क्यों है, सजा का आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। उन्होनें यह भी कहा कि उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर, सजा के आदेश को अपास्त करने की आवश्यकता है।

राज्य के वकील ने कहा कि पंचखेरो जलाशय के निर्माण में नियमितता और अवैधता थी। उन्होनें आगे कहा कि एक विभागीय फ्लाइंग स्क्वाड ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता में अनियमितता और अवैधता पाते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उक्त रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्त्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। हालांकि, रिपोर्ट याचिकाकर्त्ता के पक्ष में है, फिर भी निष्कर्षों से भिन्न है और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, सजा का आदेश पारित किया जाता है। वह आगे कहते हैं कि चूंकि सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है, इसलिए सजा के आदेश को अपास्त नहीं किया जा सकता है।

मैनें पक्षों के वकील को सुना है और पूरे रिकॉर्ड का परिशीलन किया है।

याचिकाकर्त्ता, प्रासंगिक समय में, वाटर वेज डिवीजन, बरही में सहायक अभियंता के रूप में तैनात थे। विधायक की शिकायत पर उक्त डिवीजन के एक फ्लाइंग दस्ते ने बांध के निर्माण के संबंध में पंचखेरो जलाशय का निरीक्षण किया और विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें उल्लेख किया गया कि उक्त जलाशय के निर्माण में अनियमितता, अवैधता और घटिया गुणवत्ता है। उस आधार पर, याचिकाकर्त्ता को नोटिस दिया गया। इस रिट याचिका के अनुलग्नक–I के द्वारा एक दस सदस्यों का समिति का गठन अनियमितता, अवैधता और याचिकाकर्त्ता की भागीदारी पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उद्देश्य के लिए किया गया था। उक्त समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि 0–1200 मीटर तक के निर्माण के काम में कोई अनियमितता और अवैधता नहीं है। उक्त निष्कर्ष दते समय, यह भी उल्लेख किया गया है कि सहायक अभियंता और कार्यकारी

अभियंता को निर्माण कार्य का मापन करना है, जो किया जाना बाकी है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर, याचिकाकर्त्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया गया।

याचिकाकर्त्ता को प्रपत्र 'क' जारी किया गया था, जो चार्ज–मेमो है। आरोप चार शीर्षों के अधीन थे। आरोपों में से एक यह है कि शेष निर्माण का पूर्व–स्तर इस याचिकाकर्त्ता द्वारा तय और प्रदान नहीं किया गया था। जांच अधिकारी ने जांच की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे रिट याचिका के अनुलग्नक–5 के रूप में रिकॉर्ड पर लाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार, मैनें पाया कि याचिकाकर्त्ता के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए थे। चूंकि आरोप साबित नहीं हुए थे, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने एक अन्य जांच अधिकारी नियुक्त किया और याचिकाकर्त्ता के खिलाफ एक नई विभागीय कार्यवाही शुरू की। इस याचिकाकर्त्ता द्वारा डब्ल्यू0पी0एस0 सं0 5748/2015 (रिट याचिका का अनुलग्नक–9) में नए विभागीय जांच की शुरूआत को चुनौती दी गई थी और इस न्यायालय ने दिनांक 27.1.2016 क आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका को अनुमति दी थी, प्रतिवादी अधिकारियों को यह छूट देते हुए कि वे याचिकाकर्त्ता को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी करें और याचिकाकर्त्ता को उचित अवसर देने के बाद कानून के अनुसार आगे बढ़े।

उक्त आदेश के बाद, याचिकाकर्त्ता को दिनांक 27.5.2016 को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसे रिकॉर्ड पर भी लाया गया है। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों के साथ मतभेद किया और दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया। दूसरे कारण बताओ नोटिस देने के बाद और उसका जवाब मिलने के बाद, याचिकाकर्त्ता को आरोपों का दोषी पाया गया और उसे दंडित किया गया।

अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने दिनांक 8.12.2016 के आदेश द्वारा निन्दा की सजा का आदेश पारित किया और निर्देश दिया कि याचिकाकर्त्ता को उसकी एक वेतन वृद्धि का भुगतान नहीं किया जाएगा, जिसका संचयी प्रभाव होगा।

अभिलेखों के परिशीलन के बाद, मैनें पाया कि जांच अधिकारी ने याचिकाकर्त्ता को दोषी नहीं पाया। आक्षेपित आदेश यह भी सुझाव नहीं देता है कि याचिकाकर्त्ता को दायित्व के साथ कैसे बाँधा जाता है क्योंकि याचिकाकर्त्ता का विशिष्ट खंडन है कि सहायक अभियंता का पूर्व–स्तर माप से कोई लेना–देना नहीं है। विभागीय जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद, मैनें पाया कि इस बिन्दु पर विशिष्ट निष्कर्ष है कि सहायक अभियंता को पूर्व–स्तर माप और जांच से कोई लेना–देना नहीं है, बल्कि यह कार्यकारी अभियंता का कर्त्तव्य है ि कवे उक्त जांच करें। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने उपरोक्त निष्कर्ष से सहमत नहीं हुए और आक्षेपित आदेश पारित कर दिया। आक्षेपित आदेश में यह उल्लेख नहीं है कि वे किस आधार पर उक्त निष्कर्ष से भिन्न हैं। ऐसा कोई संदर्भ या कोई अन्य दस्तावेज नहीं है जो यह बताता है कि उपरोक्त कार्य को करना सहायक अभियंता का कर्त्तव्य था। यदि ऐसा काई दस्तावेज था, तो उस पर भरोसा किया जाना चाहिए था और अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा इसका उल्लेख आक्षेपित आदेश में किया जाना चाहिए था। आक्षेपित आदेश में एक पंक्ति में उन्होनें उपरोक्त निष्कर्ष को खारिज कर दिया, लेकिन इसका कारण उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे आक्षेपित आदेश खराब हो जाता है। जांच रिपोर्ट से भिन्न होते हुए सहायक अभियंता को जिम्मेदार कैसे बनाया गया इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

चूंकि उक्त निष्कर्षों से भिन्न होने का कोई कारण सजा के आक्षेपित आदेश में या दूसरे कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित नहीं किया गया है, मेरे पास उस आक्षेपित आदेश को रद्द करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है जिसके द्वारा याचिकाकर्त्ता को दंडित किया गया है। तद्नुसार, ज्ञाप सं0 5542 दिनांक 8.12.2016 में निहित आदेश, जिसके द्वारा, विभागीय कार्यवाही समाप्त कर दी गई है और याचिकाकर्त्ता को दंडित किया गया है, को अपास्त किया जाता है।

इस रिट याचिका को अनुज्ञात किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)